



प्रधान आयुक्त का कार्यालय, सीमा शुल्क, अहमदाबाद
 "सीमा शुल्क भवन", पहली मंजिल, पुराने हाई कोर्ट के सामने, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 009.
 Tel.: (079) 2754 4630 Fax: (079) 2754 2343 E-mail:
customsoanda@gmail.com

DIN-20210671MN0000818768

PREAMBLE

A	फाइलसंख्या / File No.	:	F No VIII/10-52/ SVPIA/O & A/ HQ /2020-21
B	कारण बताओ नोटिस संख्या - तारीख / Show Cause Notice No. and Date	:	F No VIII/10-52/ SVPIA/O & A/ HQ /2020-21dated 16.09.2020.
C	मूल आदेश संख्या / Order-In-Original No.	:	31/JC/AKM/O&A/2021-22.
D	आदेश तिथि / Date of Order-In-Original	:	11 .06.2021
E	जारी करने की तारीख / Date of Issue	:	11.06.2021
F	द्वारा पारित / Passed By	:	AMIT KUMAR MISHRA, Joint Commissioner, Customs, Ahmedabad.
G	आयातक का नाम और पता / Name and Address of Importer / Noticee	:	Mr. Vicky Dayal Chhabria , At Barrack No 306-A, Room No. 11, Near Jhulelal Mandir, Ulhasnagar, Thane, Pin 421002, Maharashtra
(1)	यह प्रति व्यक्ति के उपयोग के लिए निः शुल्क प्रदान किया जाता है जिन्हें यह जारी किया जाता है।		
(2)	कोई भी व्यक्ति इस आदेश से स्वयं को असंतुष्ट पाता है तो वह इस आदेश के विरुद्ध अपील इस आदेश की प्राप्ति की तारीख के 60 दिनों के भीतर आयुक्त का कार्यालय, सीमा शुल्क (अपील), 7 वीं मंजिल, मृदुल टॉवर, टाइम्स ऑफ इंडिया, आश्रम रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009 में कर सकता है।		
(3)	अपील के साथ केवल पाँच रुपये (5.00 रुपये) के न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए, और इसके साथ होना चाहिए :		
(i)	अपील की एक प्रति और		
(ii)	इस प्रति या इस आदेश की कोई प्रति के साथ केवल पाँच रुपये (5.00 रुपये) के न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।		
(4)	इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के इच्छुक व्यक्ति को 7.5% (अधिकतम 10 करोड़ रुपये) शुल्क जमा करना होगा, जहां शुल्क या झूठी और जुर्माना विवाद में हैं, या जुर्माना, जहां इस तरह की दंड विवाद में हैं और अपील के साथ इस तरह के भुगतान का प्रमाण पेश करने में असफल रहने पर, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए अपील को खारिज कर दिया जाएगा।		